राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।
परिवहन विभाग,
5/9 अण्डर हिल, दिल्ली–54

सं0एफ0 19(03)/परि0 वि0/सचि0 शा0/2017/पार्ट–II/143 दिनांक– 26/03/2018

सेवा में,

उप– सचिव (प्रश्न),
दिल्ली विधान सभा सचिवालय
पुराना सचिवालय,
दिल्ली–54

विषय : दिनांक 27.03.2018 को सदन की बैठक में लिए जाने वाले

तारांकित प्रश्न सं0 – **139**

महोदय,

आपके पत्र के संदर्भ में उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर की 100 प्रतियॉ संलग्न हैं।

भवदीय,

VIKAS JAIN
Pollution Control Officer
Transport Department
5/9 Under Hill Road, Delhi-54

(विकास जैन)
पी.सी.ओ. (सचि0)

विभाग का नामः– परिवहन, दिल्ली सरकार
विभाग का पता :– 5/9, अंडर हिल रोड़, दिल्ली – 110054।
तारांकित प्रश्न संख्या :– 139
प्रश्नकर्त्ता का नामः– श्रीमती प्रमिला टोकस
दिनांकः 27. 03. 2018

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

<table>
<tr><th colspan="2">प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>क)</td><td>अन्य राज्यों से दिल्ली में प्रवेश करने वाली बसों के डीजल से होने वाले प्रदूषण के स्तर पर नियंत्रण रखने हेतु क्या विभाग द्वारा कोई उपाय किए गए हैं;</td><td>जी हाँ, परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा द्वारा अन्य राज्यों की बसों के वैध नियंत्रण प्रमाण पत्र की नियमित रूप से जांच की जाती हैं तथा वैध प्रमाण पत्र न मिलने की स्थिति में बसों का चालान किया जाता हैं।
इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुडें राज्यों के भागों से दिल्ली में आने वाले बसों का पारस्परिक संयुक्त परिवहन समझोते के अनुसार सीएनजी ईधन पर ही चलना अनिवार्य हैं।</td></tr>
<tr><td>ख)</td><td>यदि हां, तो पिछले 5 वर्षों में इनका वर्षवार विवरण क्या है;</td><td rowspan="2">परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा द्वारा अन्य राज्यों की बसों के वैध नियंत्रण प्रमाण पत्र की नियमित रूप से जांच की जाती हैं तथा वैध प्रमाण पत्र न मिलने की स्थिति में बसों का चालान किया जाता हैं, इस कार्यवाही के अन्तर्गत किये गये चालानों का विवरण अलग से नहीं रखा जाता है परन्तु प्रवर्तन शाखा द्वारा बसों के प्रदूषण चलान का ब्यौरा निम्नलिखित है :–</td></tr>
<tr><td>ग)</td><td>अनुमति दी गई सीमा का उल्लधंन करते हुए पाई गई बसों के विरूद्ध की गई कार्रवाई का विवरण क्या है; और</td></tr>
<tr><td>घ)</td><td>कितनी बसों के चालान किए गए, कितनी बसें जब्त की गई और कितनी बसों के परमिट रद्द किए गए, वर्षवार विवरण दे?</td><td>
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>उत्तर प्रदेश</th><th>राजस्तान</th><th>दिल्ली</th><th>अन्य</th><th>कुल</th></tr>
<tr><td>2012–13</td><td>70</td><td>67</td><td>72</td><td>35</td><td>244</td></tr>
<tr><td>2013–14</td><td>54</td><td>36</td><td>71</td><td>55</td><td>216</td></tr>
<tr><td>2014–15</td><td>156</td><td>91</td><td>85</td><td>174</td><td>506</td></tr>
<tr><td>2015–16</td><td>67</td><td>55</td><td>39</td><td>28</td><td>189</td></tr>
<tr><td>2016–17</td><td>449</td><td>254</td><td>117</td><td>158</td><td>978</td></tr>
<tr><td>2017–फरवरी 2018 तक</td><td>2532</td><td>1561</td><td>259</td><td>734</td><td>5086</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td>3328</td><td>2064</td><td>643</td><td>1184</td><td>7219</td></tr>
</table>
अन्य राज्यों में पंजीकृत बसों पर की गयी कुल कार्यवाही (सभी उल्धनों पर) का वर्षवार विवरण निम्नलिखित हैं:–
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>वाहन</th><th>चालान</th><th>जब्त</th></tr>
<tr><td>2013–14</td><td>1033</td><td>1258</td><td>39</td></tr>
<tr><td>2014–15</td><td>4191</td><td>4584</td><td>87</td></tr>
<tr><td>2015–16</td><td>1388</td><td>1575</td><td>121</td></tr>
<tr><td>2016–17</td><td>2084</td><td>3010</td><td>748</td></tr>
<tr><td>2017–18</td><td>7961</td><td>13962</td><td>5359</td></tr>
</table>
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली द्वारा अन्य राज्यों की बसों का परमिट रद्द करने का प्रावधान नहीं है।</td></tr>
</table>

हस्ताक्षर

(वर्षा जोशी)
विभागाध्यक्ष

VARSHA JOSHI, IAS
Secretary cum Commissioner (Tpt)
Transport Department
GNCT Delhi
5/9, Under Hill Road, Delhi